**न्यायालयः मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर**

पीठासीन अधिकारी — श्री शिव कुमार,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

**क्लेम यचिका सं.–29/2018** (क.नं. 30/18)

1. सुदेश पत्नी स्व. विनोद कुमार उम्र 33 साल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 15, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. जतिन पुत्र स्व. विनोद कुमार उम्र 10 साल (नाबालिंग)
3. प्रिंस पुत्र स्व. विनोद कुमार उम्र 8 साल (नाबालिंग)

   जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सुदेश पत्नी स्व. विनोद कुमार उम्र 33 साल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 15, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
4. शांतिदेवी पत्नी सोहनलाल उम्र 68 साल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 15, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

–याचीगण

**ब ना म**

1. लादूराम पुत्र अर्जुनराम पुनिया जाति जाट निवासी गांव लाखूसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

   चालक व मालिक वाहन नं. आरजे 07 जीबी 8611
2. प्रबंधक, ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत एवं मुख्यालय ए–25/27, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली शाखा कार्यालय – ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, बीकानेर रोड़, कम्पलेक्स भवन के सामने, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

   बीमा कम्पनी वाहन नं. आरजे 07 जीबी 8611

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्त. धारा 140 मोटर वाहन अधि0**

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश रांकावत, अधिवक्ता–प्रार्थीगण पक्ष।
2. श्री राजेन्द्रसिंह, अधिवक्ता–अप्रार्थी सं. 1 पक्ष।
3. श्री यशपाल टाक, अधिवक्ता–अप्रार्थी सं. 2 पक्ष।

**–आदेश–**

**दिनांक : 28.05.2019**

1. याचीगण सुदेश आदि ने धारा 140 मोटरवाहन अधिनियम के तहत अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाये जाने बाबत् आवेदन पत्र पेश किया।

2. संक्षित्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.17 को हीराराम ने पुलिस थाना घड़साना में एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि दिनांक 23.12.17 को मेरा साला विनोद कुमार अपनूगढ से 7 एम डी स्थित मंदिर के लिये मोटरसाईकिल से आ रहा था, पीछे से ट्रक नं0 आरजे 07 जीबी 8611 के चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाकर मोटरसाईकिल पर चढा दिया जिससे टायर के नीचे सिर के कुचले जाने से दर्दनाक मौत हो गई इत्यादि....।

उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना घड़साना में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 377/17 दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया। बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं0 1 लादूराम के खिलाफ संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.1 को वाहन का चालक व वाहन का मालिक होना व अप्रार्थी सं0 2 को उक्त वाहन की बीमा कम्पनी होना बताते हुए अयाचीगण से बिना त्रुटि दायित्व के सिद्वान्त के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने की प्रार्थना की।

2. जिसके प्रतिउत्तर में अयाची सं.1 ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किये गये कि मुझ अयाची द्वारा ट्रक नं0 आरजे 07 जीबी 8611 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित नहीं की गई बल्कि दुर्घटना स्वयं मोटरसाईकिल चालक की गलती से घटित हुई है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की जबकि अप्रार्थी सं 2 बीमा कम्पनी ने भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता याची ने क्लेम याचिका में वणिर्त तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए अयाचीगण से अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया। जबकि अधिवक्ता अयाचीगण ने बहस के दौरान जबाव क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के तर्को पर मनन करने के पश्चात एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि दिनांक 23.12.2017 को ट्रक नं0 आरजे 07 जीबी 8611 से हुई दुर्घटना में याचीगण के पति/पिता/पुत्र विनोद कुमार के गंभीर उपहति कारित होने से मौके पर ही मृत्यु हुई। वक्त दुर्घटना उक्त ट्रक अयाची सं.1 द्वारा चलाया जा रहा था, अयाची संख्या 1 ही उक्त वाहन का मालिक था तथा वाहन अचायी सं. 2 बीमा कम्पनी से बीमित था। दुर्घटना बीमित अवधि के दौरान घटित हुई है। फलस्वरूप अयाची सं.1 व 2 संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से बिना त्रुटि दायित्व के सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थीगण को अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी होना पाये जाते हैं।

5. अतः याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अन्तरिम पंचाट जारी किया जाकर आदेश है कि अयाची सं.1 व 2 संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से बिना त्रुटि दायित्व के सिद्वान्त के अनुसार याचीगण को 50,000/–रूपये का भुगतान इस आदेश की दिनांक से एक माह की अवधि में याचीगण के नाम अदाता खाते में चैक या ड्राफ्ट से अधिकरण के माध्यम से करें। समयावधि में भुगतान करने में व्यतिक्रम करने

पर उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक 10.09.2018 से तारीख वसूली तक 09 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

**(शिव कुमार)**

6. आदेश आज दिनांक 28.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(शिव कुमार)**